न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17 / 02 / 2023	2023 / 282	09.03.2023	08.04.2026

1.तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.अमरसिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
2.मोहर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
3.भूप सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय प्रभातीराम यादव पौत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
4.रविदत्त यादव पुत्र स्वर्गीय प्रभातीराम यादव पौत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
5.सोमा उर्फ सोना यादव पुत्री स्वर्गीय प्रभातीराम यादव पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
6.ओमा यादव पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
7.सुमन यादव पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर, जिला अलवर राज0।
8.बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा डहरा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान जर्ये शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा डहरा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
9.पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान जर्ये शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
10.जितेन्द्र पुत्र प्रभातीराम जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1.राजकीय अभिभाषक — वकील प्रार्थी
2.श्री चन्द्रभान शर्मा —वकील अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 7 व 10

—:: निर्णय ::—

यह रैफरेन्स प्रकरण प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम लोधाडी, तहसील व जिला अलवर स्थित भूमि, जो कि मूल रूप से सम्वत 2003 में खसरा नं. 814 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा 'गैर मुमकिन नाला' तथा खसरा नं. 817 रकबा 03 बिस्वा के रूप में दर्ज थी, के राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत अंकन को दुरूस्त करने एवं उसे पुनः राज्य सरकार के नाम सिवाय चक दर्ज करने का निवेदन किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

प्रार्थी तहसीलदार अलवर की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा न० 814 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला व खसरा न0 817 रकबा 03 बिस्वा किस्म बारानी मटियार खसरा टीप भण्डवाडा तहसील जिला अलवर सम्वत 2003 में दर्ज है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर 814 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला व खसरा नम्बर 817 रकबा 03 बिस्वा किस्म बारानी मटियार का हाल खसरा नम्बर 825 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक बिना लगानी कायम हुआ। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2039 खाता संख्या 50 में आराजी खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बिस्वा बारानी सौयम गैर मुमकिन नाला प्रभुदयाल, सूरजभान, हरदयाल, रामकंवार, बोदन पिसरान भूराराम समभाग कौम अहीर साकिन देह खातेदार एवं खाता संख्या 143 में खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन नाला सिवाय चक बिला लगानी दर्ज है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2037 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान खाता संख्या 50 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बिस्वा बाराजी दोयम अज गैर मुमकिन नाला सूरजभान, हरदयाल, रामकंवार, बोदन पिसरान भूराराम समभाग कौम अहीर साकिन देह खातेदार एवं खाता संख्या 124 सिवाय चक बिला लगानी नदी व नाला में दर्ज खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन नाला दर्ज है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। मुताबिक नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 13.12.1995 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्ब 825 मिन रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन नाला सिवायचक बिला लगानी नदी व नाला से जर्ये सनद पटटा नम्बर 95247 दिनांक 12.12.1995 प्रभातीराम, अमर सिंह व मोहर सिंह पिसरान रामस्वरूप अहीर जाति अहीर साकिन देह खातेदार के नाम खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा बारानी दोयम अज नाला दर्ज हो कर राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत हुआ। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर साबिक 825 मिन शामिल नम्बर 1206, 825 मिन रकबा 06 बीघा व 825 मिन रकबा 03 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1209 रकबा 1.40 हैक्टेयर, 1206 रकबा 0.11 हैक्टेयर व 1203 रकबा 0.05 हैक्टेयर कायम हुए। मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में से ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान पृथक से दर्ज रिकार्ड हुआ।

मुताबिक जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071–74 वर्ष 2018 ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 1.40 हैक्टेयर बाराजी दोयम प्रभातीराम पुत्र श्री रामस्वरूप हिस्सा 65/336 हैक्टेयर 0.2708 जाति अहीर साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डहरा पूर्ण खाता, मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 65/336 जाति अहीर साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली पूर्ण खाता, अमर सिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 65/336 जाति अहीर साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली पूर्ण खाता तथा सिवायचक लगानी हिस्सा 47/112 संस्था के लिए तहत कस्टोडियन सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। भू अभिलेख नियमावली, 1957 के नियम 164 के अन्तर्गत उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071–74 वर्ष 2018 ग्राम लोघाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज खसरा नम्बर 1209 में अंकित खातेदारों एवं सिवाय चक लगानी के जिम्मनों से पृथक किया जाकर खसरा नम्बर 1209 का विभाजन किया गया। जिसके तहत 1639/1209 रकबा 0.8124 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली, प्रभातीराम पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर डहरा तथा मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली दर्ज रिकार्ड है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। आराजी खसरा नम्बर 1209 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 बारानी दोयम कायम हुआ। जो राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 170 पर सिवाय चुक लगानी सरकार हिस्सा पूर्ण कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक लगानी में से 0.10 हैक्टेयर आराजी पर रतीराम, जसराम, विक्रम व मुनीराम द्वारा सरसौ की तथा 0.4876 हैक्टेयर रकबा पर मोहर सिंह द्वारा जी की फसल बोई हुई है। जिस बाबत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। आराजी खसरा नम्बर 1639/1209 रकबा 0.8124 हैक्टेयर पर मौके पर अमर सिंह, मोहर सिंह व स्वर्गीय प्रभाती के वारिस भूप सिंह द्वारा गेंहू की फसंल की हुई है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 खाता संख्या 410 आराजी खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 06 बिस्वा बारानी द्वितीय कस्टोडियन सिवाय चक लगानी व खाता संख्या 316 में आराजी खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला मु० शांति बेवा प्रभुदयाल, रतीराम, जसराम, विकम, मनीराम पिसरान प्रभुदयाल समान भाग हिस्सा 1/5, सूरजभान, हरदयाल, रामकंवार, बोदन पिसरान भूराराम समान भाग हिस्सा 4/5 जाति अहीर साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए उक्त लोगो के नाम के इन्द्राजात को हटवाने की बाबत अनेंको बार उनसे निवेदन किया जा चुका है. लेकिन उक्त लोग काफी खूंखार, मुंहजोर व लडाकू किस्म के व्यक्ति है, जिनके द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए उनके नाम के अंकन को दुरूस्त कराने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया गया तथा एलानिया तौर पर यह धमकी दी गई है कि वे राजस्व रिकार्ड से अपने नाम के अंकन को नहीं हटवाएंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि की बाबत किसी भी दीगर व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित/अन्तरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि की बाबत किसी दीगर व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने बन्दोबस्त मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जिससे उपरोक्त वर्णित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु यह रैफरेन्स श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 814 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 817 रकबा 03 बिस्वा जिसके मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2020 खसरा नम्बर 825 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक बिना लगानी तथा मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 खसरा नम्बर 1209 रकबा 1.40 हैक्टेयर, 1206 रकबा 0. 11 हैक्टेयर व 1203 रकबा 0.05 हैक्टेयर कायम हुआ तथा आराजी खसरा नम्बर 1209 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1639/1209 रकबा 0. 8124 हैक्टेयर कायम हुए, जो वाकै ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान है, की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अप्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाएं जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 व 10 की अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस/जबाव पेश किया निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 1 वास्तविकता से परे दर्ज तथ्यो के आधार पर अंकित किया है जो गलत है, अस्वीकार है जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर उक्त आराजी जो अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 व 10 के कब्जे काश्त खातेदारी में है, वह नाला, नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित नही है। आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 6 बीघा । बिस्वा गैर मुमकिन नाला संवत 2003 में मौके के अनुसार गलत दर्ज की गई है। खसरा नंबर 817 रकबा 3 बिस्वा संवत 2003 में मौके के अनुसार सही है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जिमन नंबर 2 में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर गत आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा व गत खसरा नंबर 817 रकबा 3 बिस्वा बारानी मटियार का हाल खसरा नंबर 825 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा सही दर्ज है परन्तु उक्त भूमि को गैर मुमकिन नाला सिवायचक बिना लगानी गलत दर्ज किया है। यह कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स का जिमन नंबर 3 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। मौके के अनुसार भूमि का गलत अंकन किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। मौके के अनुसार भूमि का गलत अंकन किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। मुताधिक नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 13.12.1995 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर आराजी खसरा नंबर 825 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा का जरिये सनद पट्टा नम्बर 95247 दिनांक 12.12.1995 प्रभातीराम, अमरसिंह, मोहरसिंह के नाम 3 बीघा 5 बिस्वा बारानी दोयम सही दर्ज हुआ था लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजी को मौके के खिलाफ नाला दर्ज करना गलत अंकित किया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 8 सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है एवं स्वीकार है। कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 10 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेब्स का जिमन नंबर 11 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 12 जिस प्रकार बयान किया गया है, सही है और स्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 13 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। उक्त संदर्भ में कोई एफआईआर या अन्य दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा संलग्न रैफरेन्स नही किया गया है और ना ही दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ला० 7 एवं 10 के पास रैफरेन्स में दर्ज भूमि नदी, नाला बहाव क्षेत्र में नहीं है। जिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज०)

कारण से तहसीलदार, अलवर द्वारा अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 व 10 को किसी भी प्रकार से हटाने की कहना गलत दर्ज किया है तथा उक्त भूमि बाबत कभी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कोई बातचीत या कहा सुनी नहीं हुई और चूंकि राजस्व रिकॉर्ड राज्य सरकार के अधीन रहते हुए रैफरेन्सकर्ता तहसीलदार के पास मौजूद है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थीगण का नाम हटवाने या अंकन करवाने का कहने का कोई औचित्य ही नही है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 14 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। रैफरेन्सकर्ता का यह कहना कि नदी, नाला की भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही है जो सही है लेकिन अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 व 10 द्वारा सही भूमि को व पूर्व में कब्जेशुदा भूमि को ही आवंटित करवाया गया था जो कि राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा मौके का निरीक्षण करके ही आवंटन किया गया था। राजस्व कर्मचारी अगर कोई मनमानी करते है तो वो राज्य सरकार के अधीन है। चूंकि रैफरेन्सकर्ता तहसीलदार द्वारा किसी भी राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध मनमानी करने या अवैध रूप से आवंटन करने के सम्बन्ध में कोई दीवानी या फौजदारी कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की है। ना ही ऐसी कोई कार्यवाही का उल्लेख रेफरेन्स में अंकित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 15 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 व 10 को रेफरेन्स में दर्ज भूमि का नदी, नाला के बहाव क्षेत्र में ना होने के कारण ही आवंटन किया गया था और राजस्व रिकॉर्ड में मोहरसिंह, अमरसिंह व प्रभाती राम का नाम सही अंकित किया गया था और चूंकि उक्त राजस्व रिकॉर्ड बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा ना बनाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति के आदेश पर ही आवंटीयो को ही आवंटित किया गया था और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 16 का जवाब पैरा संख्या 14 में अंकित है तथा अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 व 10 को सही खातेदार दर्ज किया गया है। यह कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स का जिमन नंबर 17 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है और अस्वीकार है। बंदोबस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियो द्वारा बंदोबस्त को मनमाने तरीके से नहीं बनाया गया बल्कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रभातीराम, मोहरसिंह, अमरसिंह को मौके की स्थिति देखी जाकर व पूर्व से कब्जा देखा जाकर आवंटित किया गया था तथा आवंटन समिति के निर्देशानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में मोहरसिंह, अमरसिंह व प्रभारीराम को सही खातदार दर्ज किया गया था इसलिए यह रैफरेन्स विधि, तथ्य व मौके के विरुद्ध दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 व 10 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो खारिज किए जाने योग्य है जो खारिज की जावे।

अतिरिक्त कथनः—प्रार्थी को झूठे तथ्यो के आधार पर कालबाधित रैफरेन्स पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स में काफी आराजी को गलत प्रकार से दर्ज किया गया है, जिसमें किस आराजी खसरा नंबर मे से कौनसी दिशा का खसरा नंबर आवंटित किया गया व किस दिशा की भूमि बारानी दर्ज की गई व जमाबंदी तथा खसरा गिरदावरी में विरोधाभाष क्यो उत्पन्न हुआ आदि विरोधाभाष होने के आधार पर प्रार्थी को रैफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा आराजी के नियमन आवंटन आदि को चुनौती नही दी गई तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा मृतक प्रभाती राम अहीर के सभी वारिसान को रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी रैफरेन्स में यह अंकित नही किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद किस आदेश से कृषि भूमि को नदी, नाला आदि दर्ज किया गया व यह भी दर्ज नहीं किया गया कि मौके पर जाकर कृषि का भौतिक सत्यापन किया गया है। चूंकि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आवंटन होने के पूर्व से ही किसी प्रकार से नदी, नाले के बहाव क्षेत्र में नही है और ना ही नदी, नाले आदि के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो रही है अर्थात अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 10 की खातेदारी में आ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर (राज०)

रहे खसरा नंबर नदी, नाला के बहाव क्षेत्र में नही है। प्रार्थी द्वारा 28 वर्ष के असामान्य विलम्ब से कालबाधित रैफरेन्स प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जो कि आनन्दी लाल बनाम राजस्थान राज्य 1996 (1) आरएलडब्लू 369, सरकार बनाम भगवान 2021 (1) आरआरटी 348 द्वारा प्रतिपादित विधि के स्पष्ट उल्लंघन में रेफरेन्स प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिज है। अतः श्रीमान न्यायालय के समक्ष बहस/जबाव उजदारी अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 व 10 की ओर से प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से रैफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाये।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी। बहस पूर्ण।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि सम्वत 2020 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 825 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा 'गैर मुमकिन नाला सिवाय चक बिला लगानी' के रूप में कायम हुई। इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 13.12.1995 के जरिये सनद पट्टा नम्बर 95247 के आधार पर उक्त 'गैर मुमकिन नाला' की भूमि में से रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा अप्रार्थीगण/उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में बन्दोबस्त सम्वत 2051 के अनुसार यह भूमि खसरा नं. 1209 और इसके विभाजन उपरान्त 1639/1209 आदि के रूप में अप्रार्थीगण व बैंकों के रहन स्वरूप दर्ज है। प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी/नाले (जल बहाव क्षेत्र) की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा अवैध एवं मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया है, जिसे निरस्त कर भूमि पुनः राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी चाहिए।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 10 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस/जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि विवादित भूमि मौके पर नाला या नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित नहीं है। उनका दावा है कि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में उक्त भूमि को 'गैर मुमकिन नाला' गलत दर्ज किया गया था। यह आवंटन मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके की स्थिति व पूर्व कब्जे को देखकर विधिवत किया गया था। अप्रार्थीगण की ओर से यह भी आपत्ति उठाई गई कि प्रार्थी द्वारा यह रैफरेन्स लगभग 28 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जो कालबाधित है। इसके समर्थन में 'आनन्दी लाल बनाम राजस्थान राज्य' एवं 'सरकार बनाम भगवान' के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए। अतः रैफरेन्स खारिज किया जाए।

हमने प्रार्थी (तहसीलदार अलवर) की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गय राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2003 तथा सम्वत 2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मूल स्वरूप 'गैर मुमकिन नाला' दर्ज रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करती है कि नदी, नाले, तालाब या जल भराव/बहाव क्षेत्र की भूमि पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं हो सकते हैं। ऐसी भूमि का किया गया कोई भी आवंटन या नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा 28 वर्ष के विलम्ब का जो तकनीकी तर्क दिया गया है, वह इस प्रकरण में पोषणीय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य' व अन्य कई दृष्टांतों में तथा माननीय राजस्व मण्डल ने स्थापित किया है कि सार्वजनिक उपयोग एवं जल बहाव (नदी/नाले) की भूमि को खुर्द-बुर्द करने या अवैध रूप से आवंटित करने के प्रकरणों में 'लिमिटेशन' (समयावधि) आड़े नहीं आती है। शून्य आदेशों को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नदी/नाले की भूमि का आवंटन करने का अधिकार किसी भी आवंटन सलाहकार समिति या राजस्व अधिकारी को नहीं है। यदि मौके पर भूमि कृषि योग्य है भी, तो जब तक उसका वैधानिक रूप से किस्म परिवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता, तब तक उसका आवंटन 'गैर मुमकिन नाला' के रूप में नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के पक्ष में नदी/नाले की भूमि पर खातेदारी दर्ज करना पूर्णतया अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भण्डवाडा/लोधाडी, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 825, 1209 तथा हाल खसरा नम्बर 1638/1209 एवं 1639/1209 की भूमि, जो कि मूल रूप से 'गैर मुमकिन नाला' है, के सम्बन्ध में विवादित सम्पूर्ण आराजी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थीगण के नाम से कलमजन कर, इसे पूर्व की भाँति पुनः राज्य सरकार के नाम 'सिवाय चक–गैर मुमकिन नाला' के रूप में दर्ज किए जाने की अभिमत/अभिशंषा सहित यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर (राजस्थान) को अंतिम आदेश एवं पुष्टिकरण हेतु सादर प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)